रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD- NO- D- L--33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 4, 2014/आषाढ़ 13, 1936

No. 1417] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 4, 2014/ASADHA 13, 1936

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2014

का.आ. 1690(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में अंतर्विष्ट इस अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

कपिलाश वन्य-जीव अभ्यारण, बिना किसी मानव बस्ती के 125.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कपिलाश संरक्षित वन्य के आक्षादित क्षेत्र के भीतर उड़ीसा राज्य के ढेकानाल जिले में स्थित है ;

और ये अभ्यारण वर्षा अवरुद्ध अभ्यारणित है और भूमिगत जल के पुनः भरण, मृदा के न्यूनतम क्षरण द्वारा तलछट के विरुद्ध नदियों के संरक्षण और सरिताओं का संरक्षण तथा बारामासी या अर्ध-बारामासी और बरसाती सरिताओं, नालों या नदियों के जाल को भलीभांति जोड़ना जिससे लघु सिंचाई परियोजनाओं को पुष्ट किया जा सके और जल संग्रहण संरचनाओं और ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियों का जाल बिछाया जा सके ;

और अभ्यारण एशियाई हाथियों और अत्यधिक संकटापन्नः प्रजातियों जैसे हाथी (ऐलीफास मैगजीमस), लकड़बघा (हगेना हायना), चित्तीदार हिरन (एक्सिस एक्सिस), सांभर (सेरुअस यूनिकलर), भेडिया (केनिस लुपुस), भालू (मेलुरसुस उरसीनुसल), रीछ,

साधारण लंगूर, गीदड़ (कनिस ओरिस), लोमड़ी (वुल्पेस बेनगालेन्सिस), खरगोश (लेपुस निगरीकोटिस), जंगली सुकर (सुस स्क्रोफा), शूकर (हाईस्ट्रिस इंडिका), मयूर (पावो क्रिस्टाटुस), पक्षियों सर्पों, छिपकलियों आदि की प्रजातियां ;

और अभ्यारण कासी (ब्रदेलिया रेतुसा), साइमल (बाम्बक्स सिएबा), कागड़ा (जाइला जालोकारपा), सिद्ध (अलबिजिया लेब्बक), फासी (एनोगेइसुस एक्युमिनाटा), केन्दु (डाइयोसपग्राउस मेलनोजाइलोन), जामु (साइजियम अनमीनफी), आवंला (एमबलिका आफिशिनालिस), आम (मगनीफरा इंडिका), आसन (टरमिनालिया अलाटा), बीजा (पट्रोकारपुस मारसुपियम), कुरम (अदिना क्रोडीफुलिया), चीड़ (टेकटोना ग्रान्डिस), धौरा (एंगीसुस लातिफोलिया), कदम्ब (एंथासिफालुस कदम्बा), कर्जना (पोंगामिया पिन्नाटा), ऊसूम (सेलीचेरा ओलेओसा), मुंडी (स्पेरंटुस इंडिका), माहुल (मधुका इंडिका), बेला (एंजल मारमेलोस), गंभारी (गमेलिना अरबोरिया), कंचन (बौहिनिया अकुमिनाटा) आदि जैसी सहयुक्तों के साथ प्रबल प्रजातियों के रूप में सेल अर्थात् सोरिया रोबस्ता वाले वनस्पति के लिए उत्कृष्ट आवास है ;

और यह आवश्यक है कि कपिलाश वन्यजीव अभ्यारण को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाए तथा उसमें वन्य जीव तथा उसके पर्यावरण के सुधार और उसके विकास का प्रचार किया जाएगा ;

और पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में कपिलाश वन्यजीव अभ्यारण के ईद-गिर्द कतिपय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों की संक्रियाओं या प्रक्रियाओं या वर्ग, संक्रियाओं या प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक हो गया है । अतः अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में कपिलाश वन्यजीव अभ्यारण की सीमा से 13.15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार कपिलाश वन्य-जीव अभ्यारण के चारों तरफ 500 मीटर से 13.15 किलोमीटर तक, 393.87 वर्ग किलामीटर के भौगोलिक क्षेत्र के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की 245.85 किलोमीटर की कुल परिधि तक फैला हुआ है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.200) की ओर 20° 43' 55.818'' उत्तर अक्षांश और 85° 55' 30.586'' पूर्व देशान्तर ; पश्चिम (मानचित्र में संदर्भ बिन्दु सं.1) की ओर 20° 38' 50.930'' उत्तर अक्षांश तथा 85° 41' 11.524'' पूर्व देशान्तर ; उत्तर (मानचित्र मे संदर्भ बिन्दु सं.100) की ओर 20° 41' 44.559''उत्तर अक्षांश और 85° 48' 42.827'' पूर्व देशान्तर और दक्षिण (मानचित्र मे संदर्भ बिन्दु सं.300) की ओर 20° 38' 20.393'' उत्तर अक्षांश तथा 85° 44' 55.087'' पूर्व देशान्तर से घिरा हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की अंतिम सीमा और विस्तार का मानचित्र इस अधिसूचना से उपाबद्ध अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 1** के रूप में दिया गया है ।

(4) कपिलाश वन्य-जीव अभ्यारण पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची इस अधिसूचना उपाबद्ध प्रमुख बिन्दुओं के साथ उनके अक्षांश और देशान्तर के साथ **उपाबंध 2** में दी गई है ।

परंतु **उपाबंध 2** में दिए गए ग्रामों की सूची की राज्य सरकार द्वारा जोनल मास्टर प्लान तैयार करते समय पुष्टि की जाएगी ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान--(1) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राज्य सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से जोनल मास्टर प्लान तैयार करेगी जोनल मास्टर प्लान, राज्य सरकार के सभी संबंधित विभागों, जैसे (i) वन और पर्यावरण ; (ii) पर्यटन ; (iii) सिंचाई ; (iv) शहरी और आवास विकास ; (v) लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) ; (vi) भू-राजस्व विभाग तथा ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहभागिता से, उक्त योजना में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय प्रतिफलों को एकीकृत करते हुए तैयार किया जाएगा ।

(2) जोनल मास्टर प्लान में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(3) जोनल मास्टर प्लान सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, पूजा स्थलों, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, उद्यान-कृषि क्षेत्र, उपजाऊ भूमी, हरित क्षेत्र, फल उद्यान, झीलों और नहर और निकासी संक्रम से भिन्न अन्य जलाशयों का अभ्यंकन करेगा ।

(4) जोनल मास्टर प्लान, पैरा 3 में विनिर्दिष्ट सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के विनियमन के लिए निबंधनों और शर्तों तथा ऐसे अन्य जैसा समय-समय केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए उपायों को अधिकथित करेगा ।

(5) राज्य सरकार जोनल मास्टर प्लान बनाने के दौरान निम्नलिखित का अनुपालन करेगी, अर्थात् :--

(क) **भू-उपयोग :--** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनो, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों, जो आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित किए गए हैं, का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या निर्माण नहीं होगा :

परंतु पैरा 4 के अधीन गठित राज्य समिति परिस्थिति संवेदी जोन मानीटरी समिति की शिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्थानियों निवासियों की निवास आवश्यकताओं को पूरा करने तथा पैरा 3 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मद संख्या 11, 27, 28, 32 और 33 पर सूचिबद्ध क्रियाकलापों, अर्थात्:-- (i) वर्षा जलय संचयन (ii) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग (iv) पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं, जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस्क, रज्जूरेल इत्यादि और (v) सुरक्षा बल कैंप के लिए पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र के भीतर अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

परंतु यह और कि समान रूप से जनजातीय प्रथाओं से गैर-जनजातीय प्रथाओं के लिए भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी ।

(ख) प्राकृतिक जलस्रोत--सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए कठोर मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(ग) पर्यटन--पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक-शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी भी प्रकार के नए संनिर्माण सारणी के पैरा 3 के स्तंभ (2) के अधीन पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस्क, रज्जुरेल इत्यादि और उससे संबंधित मद सं0 32 को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ;

(iii) जोनल मास्टर प्लान का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(घ) नैसर्गिक विरासत- पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा ; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; राज्य सरकार उनके संरक्षण और संधारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसी प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(ङ) ध्वनि प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, ओडिशा, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(च) वायु प्रदूषण - पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, ओडिशा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981(1981 का 14) के उपबंधों के अनुसार, पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा ।

(छ) बहिस्त्रावों का निस्सारण :– पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(ज) ठोस अपशिष्ट :– (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा ।

(झ) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट - पारिस्थितिक संवेदी जोन जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 में प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ञ) यानिक यातायात परिवहन - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुमोदन के दौरान, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटर करेगी ।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित गतिविधियां - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	प्रतिषिद्ध	विनियमित	अनुज्ञा प्राप्त	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	हां	-	-	सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां सिवाय स्थानीय निवासीयों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के लिए प्रतिषेध है ;
2.	वृक्षों की कटाई	-	हां	-	राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी ; (ख) संबंधित केंदीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
3.	आरा मशीनों की स्थापना ।	हां	-	-	
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण के कारण उद्योगों की स्थापना करना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए या विद्यमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
5.	वाणिज्यिक होटल और सैरगाह की स्थापना करना ।	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई नए वाणिज्यिक स्थापन जैसे होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे ।
6.	जलाने के लिए उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	हां	-	-	

7.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	-	हां	-	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा ; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी ; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
8.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना ।	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नए जल विद्युत परियोजना संयंत्रों (बांध, सुरंग बनाने और जलाशय के संनिर्माण) की स्थापना और विद्यमान संयंत्रों के विस्तार के सिवाय सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट तक) या लघु विद्युत परियोजनाओं (100 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक), जो स्थानीय समुदायों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी, संबधित ग्राम सभा और अन्य आवश्यक अनापत्तियों के अध्यधीन रहते हुए प्रतिषिद्ध होगी ।
9.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का परिनिर्माण ।	-	हां	-	भूमिगत केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
10.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	-	-	हां	
11.	वर्षा जल संचयन	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
12.	होटलों तथा विश्रामालयों के विद्यमान परिसरों की बाड़ लगाना ।	-	हां	-	
13.	जैविक खेती	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
14.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग	हां	-	-	
15.	नवीकरणीय ऊजा संसाधन			हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा ।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	-	हां	-	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और अवशमन के लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	-	हां	-	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए ।

18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	-	हां	-	
19.	किसी परिसंकटमय सामग्री का उपयोग या उत्पादन	हां	-	-	-
20.	पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों जैसे वन्य-जीव अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि करना।	हां	-	-	
21.	पहाड़ी ढालों और नदी के किनारों का संरक्षण	-	हां	-	
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	हां	-	-	
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	-	हां	-	
24.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	-	-	हां	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
25.	वनस्पतिक बाड़	-	-	हां	
26.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनउपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	-	हां	-	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
27.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	-	-	हां	
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग	-	हां	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यानकृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
29.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना तुरंत प्रभाव से अनुज्ञात नहीं होगी ।
30.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण	-	हां	-	
31.	संनिर्माण क्रियाकलाप	हां	-	-	पारिस्थितिक संवेदी जोन में सिवाय, स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत मद संख्या 11, मद संख्या 26, मद संख्या 27, मद संख्या 32 और 33 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के तत्काल प्रभाव से किसी प्रकार का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । मद संख्या 26 में सूचीबद्ध क्रियाकलाप के मामले में संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित करते हुए उन्हें न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा ।
32.	पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाएं जैसे गृह ठहराव, रज्जुमार्ग, किओस्क, रज्जुरेल इत्यादि	-	हां	-	
33.	सुरक्षा बल कैंप	-	हां	-	

4. राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए ओडिशा राज्य के लिए एक समिति का गठन करेगी जिसका नाम राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति (रास्तपासंजोमास), जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार - अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय, भुवनेश्वर का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(iii) क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक - सदस्य ;

(iv) ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(v) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का ओडिशा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(vi) ओडिशा सरकार के ग्रामीण प्रबंधन विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(vii) ओडिशा सरकार के कृषि विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(viii) ओडिशा सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि -सदस्य ;

(ix) संबंधित जिले का कलक्टर- सदस्य ;

(x) धनकनल कटक और अथागढ़ से संबंधित प्रभागीय वन्य अधिकारी पर्यावरण - सदस्य ;

(xi) निदेशक, पर्यावरण विभाग, - सदस्य सचिव ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य-सचिव ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति विषय-दर-विषय आधारित अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अपनी वार्षिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

[फा. सं. 25/3/2014-ईएसजेड/आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा के मानचित्र को दर्शित करने वाले अंतिम और विस्तारित अक्षांश और देशान्तर ।

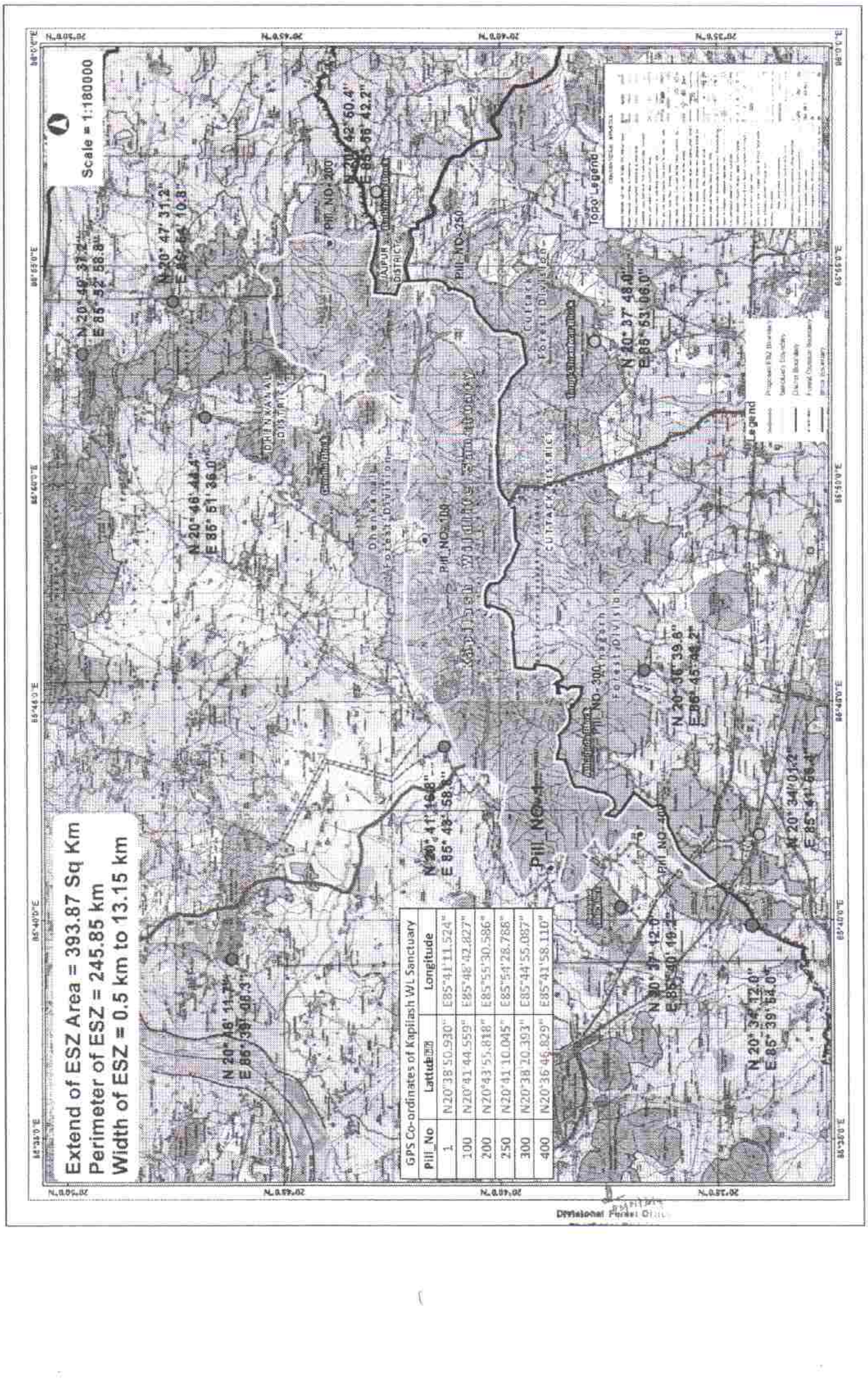

उपाबंध-2

कपिलाश वन्य-जीव अभ्यारण, ओडिशा के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्राम

1. जिला धेनकनल

क्रम सं.	ग्राम का नाम	अक्षांश			देशान्तर		
		डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड
1	अछंदा	20	38	6.65	85	40	40.21
2	दहिमल	20	39	46.97	85	41	04.42
3	हरेकृष्णापुर	20	39	07.65	85	40	57.67
4	खजुरिया	20	37	45.41	85	41	34.45
5	कृष्णकुमारपुर	20	40	01.23	85	42	45.31
6	संखुआ	20	38	44.75	85	40	44.53
7	बौनसंगोथा	20	37	16.12	85	40	54.41
8	बिराड़िया	20	40	12.82	85	42	50.71
9	चनाबोलुआ	20	40	03.22	85	41	50.21
10	अंबानली	20	40	57.91	85	42	50.23
11	बानिया	20	41	56.51	85	48	40.22
12	चंद्रशेखरपुर	20	42	55.75	85	43	22.47
13	छातिया	20	44	22.93	85	41	40.62
14	छोटातेनतुली	20	45	20.56	85	55	18.05
15	देवगन	20	41	53.35	85	45	06.95
16	घोराघोरी	20	43	13.25	85	56	13.45
17	महिसियकदा	20	44	09.82	85	52	23.87
18	महुलखली	20	41	27.19	85	44	09.11
19	कोल्हा	20	40	55.56	85	53	33.92
20	मुंडामरी	20	44	35.96	85	52	19.22
21	न्यूलपोई	20	44	00.78	85	42	46.07
22.	सिमिलिया	20	42	29.42	85	51	53.61
23.	सोरिसियापदा	20	42	8.63	85	50	56.21
24.	तलापदा	20	44	19.47	85	51	39.11
25.	हराबरेना	20	44	32.23	85	51	57.12
26.	देवझार	20	43	36.53	85	50	19.67
27.	रामेई	20	43	29.72	85	51	0.31
28.	नुआछोलिया	20	43	07.51	85	50	51.42
29.	जमुरिया	20	42	27.12	85	50	57.63
30.	चतिगढ़	20	40	39.42	85	50	56.16

2. जिला कटक :

क्रम सं0	ग्राम का नाम	अक्षांक्ष			देशांतर		
		डिग्री	मिनट	सैकंड	डिग्री	मिनट	सैकंड
1.	राधाकृष्णपुर	20	34	9.63	85	40	21.62
2.	महालक्ष्मीपुर	20	36	11.62	85	43	07.71
3.	राधारमनपुर	20	34	17.32	85	41	38.51
4.	ओराड़ा	20	35	85.63	85	49	11.54
5.	भागुआ	20	35	56.53	85	43	44.52
6.	बांझीअंभा	20	37	3.54	85	52	41.92

3. जिला जजपुर -कोई नहीं-

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2014

S.O. 1690(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of Sub-section (2) and Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under Sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, ParyavaranBhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, or at e-mail address:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Kapilash Wildlife Sanctuary lies in the Dhenkanal District of Odisha State within the KapilashReserve Forest covering an area of 125.50 sq.km without any human settlement;

And Whereas, the forest of this Sanctuary intercept rainfall and help recharge ground water aquifer, protect rivers and streams against siltation by minimising soil erosion and has well-knit network of perennial or semi-perennial and seasonal streams, nalas or rivers which feed minor irrigation projects and water harvesting structures and are tributaries to the river Brahmani;

And Whereas, the sanctuary is an excellent habitat for AsianElephants and some of the most endangered species like Elephant(*Elephasmaximus*), Hyena (*Hgaenahyaena*), Spotted Deer (*Axix axis*), Sambar (*Ceruus unicolor*), Wolf (*Canis lupus*), Bears (*Melursusursinusl)*, Sloth Bears, Common Longoors, Jackal (*Canisaureus*), Fox (*Vulpesbengalensis*), Hares (*Lepusnigricottis*), Wild Boar (*Susscrofa*), porcupines (*Hystrixindica*), Peacocks (*Pavocristatus*), Varieties of Birds, Snakes, Lizards etc;

And Whereas, the sanctuary is an excellent habitat for flora with Sal i.e.*Shorearobusta*as the dominant species along with the associates like Kasi (Brdeliaretusa), Simul (*Bombaxceiba*), Kangara (*Xyliaxylocarpa)*, Sidha(*Albizialebbek*), Phasi (*Anogeissusaccuminata*), Kendu (*Diospgrousmelanoxylon*), Jamu(*Syzygiumanminfi)*, Amla (*Emblicaofficinalis*), Mango (*Mangiferaindica*),Asan (*Terminaliaalata*), Bija (*Pterocarpusmarsupium*), Kurum (*Adinacordifulia*), Teak (*Tectonagrandis*), Dhaura (*Anogeisuslatifolia*),Kadamba (*Anthocephaluskadamba*), Karanja (*Pongamiapinnata*), Kusum (*Schleicheraoleosa*), Mundi (*Sphaeranthusindica*), Mahul(*Madhucaindica*), Bela (*Aeglemarmelos*), Gmabhari (*Gmelinaarborea*),Kanchan (*Bauhinia acuminata*), etc;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the KapilashWildlife Sanctuary and propagate improvement of and develop wild life therein and its environment;

And whereas it has become necessary to specify certain areas around the Kapilash Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operational or process or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area up to 13.15kilometersfrom the boundary of the Kapilash Wildlife Sanctuary in the State of Odisha as the Eco-sensitive Zone, details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone varies from 500 meters to 13.15 kilometers all around the Kapilash Wildlife Sanctuarycovering geographical area of 393.87 sq. km. with total perimeter of the Eco-sensitive Zone boundary of 245.85 km.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 20° 43' 55.818"N latitude and 85°55' 30.586"Elongitude towards East(**Reference point pill No.200 of map**); 20° 38' 50.930"N latitude and 85° 41' 11.524"E longitude towards west(**Reference point pill No.1 of map**); 20° 41' 44.559"N latitude and 85° 48' 42.827"E longitude towards north(**Reference point pill No.100 of map**) and 20° 38' 20.393"N latitude and 85° 44' 55.087"E longitude towards south(**Reference point pill No.300 of map**).

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent is appended to this notification as **Annexure I**.

(4) The list ofvillages falling within the Kapilash SanctuaryEco-sensitive Zone alongwith their longitude and latitudesat prominent pointsisappended to this notification as **Annexure II**:

Provided that the **Annexure II** shall be subject to list of villages confirmed by the State Government in the Zonal Master Plan.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1)The State Government shall for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, preparea Zonal Master Planwithin a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for consideration and approval of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests in consultation with local people and with the approval of the followingconcerned State Departments namely:-(i) Forest and Environment;(ii)Tourism;(iii)Irrigation;(iv) Housing and Urban Development; (v) Public Works Department (Building and Roads);(vi) RevenueDepartment and Odisha State Pollution Control Board.

(2) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, ground water management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other ecological and environmental aspects.

(3) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed urban settlements, village settlements, worshipping places, types and kinds of forest, agriculture areas, horticultural areas, fertile lands, green areas, orchards, lakes and other water bodies excluding all canal and drainage works.

(4) The Zonal Master Plan shall lay down the terms and conditions and such other measures as may be specified by the Central Government or the State Government from time to time, for the regulation of activities specified under column (2) of the table in paragraph 3.

(5) The State Government shall, while drawing up the Zonal Master Plan, comply with the following namely;-

(a) **Land Use.**-Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco- sensitive Zone shall not be used or constructed into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zonemay be permitted on the recommendation of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee (SESZMC) and with the constituted under paragraph 4 and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of the local residents,and for the activities listed at item numbers 11, 27, 28, 32 and 33specified under column (2) of the table in paragraph 3, namely:- (i) rainwater harvesting, (ii)Cottage industries including village artisans, etc.,(iii) Small scale

industries not causing pollution,(iv)Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc., and (v) Security Forces Camp;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial or industrial related development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006(2 of 2007).

The Central Government and the State Government may specify such other measures, as may be considered necessary, for giving effect to the provisions of this notification.

(b) Natural springs.-The catchment areas of all springs shall be identified and plans for conservation and rejuvenation of springs shall be incorporated in the Zonal Master Plan and strict guidelines be drawn up for the prohibition of development activities at or near these areas.

(c) Tourism.-The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests and the Ministry of Tourism and by the National Tiger Conservation Authority, with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of any kind shall not be allowed within the Eco-sensitive Zone except the activity listed at item No.32 relating to Eco Tourism specified under column (2) of the table in paragraph 3;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scruitinisation and on the recommendation of the SESZMC;

(d) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and be preserved andproper plan be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification.

(e) Noise pollution.-The Environment Department or the State Forest Department ofOdishashall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(f) Air pollution.-TheEnvironment Department or the State Forest Department ofOdishashall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981).

(g) Discharge of effluents.- Thedischarge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974).

(h) Solid wastes.- (i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Central Government *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner.

(i) Bio-medical waste.-The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Central Government *vide* notification numberS.O.630(E), dated the 20th July, 1998.

(j)Vehicular Traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment and Forests, the SESZMCshall monitor the compliance of vehicular movement as per the rules and regulationsfor the time being in force.

3. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zoneshall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

Sl. No.	Activity	Prohibited	Regulated	Permitted	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	Yes	-	-	All new and existing commercial mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibitedexcept for the domestic needs of *bona fide* local residents.
2.	Felling of trees	-	Yes	-	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Centralor State Act and the rulesmade thereunder.
3.	Setting of Saw-mills	Yes	-	-	
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	Yes	-	-	No new or expansion of existing polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	-	Yes	-	No new or expansion of existing commercial establishmentssuch as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial Use of Fire wood	Yes	-	-	
7.	Commercial water resources including ground water harvesting.	-	Yes	-	(a)The extraction of surface waterand ground water shall be allowed only for *bonafide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permissionfrom the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted.

					(d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
8.	Establishment of new major hydro-electric projects	Yes	-	-	Setting up of new hydro-electric power plants (dams, tunneling, and construction of reservoir) and expansion of existing plants in the Eco-sensitive Zone is prohibited except the microhydel power projects (Up to 100KW) or the mini hydel power projects (from 101 to 2000KW),which would serve the energy needs of the local communities, subject to consent of the concerned Gram Sabha and all other requisite clearances.
9.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	-	Yes	-	Promote underground cabling
10.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	-	-	Yes	
11.	Rain water harvesting	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
12.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	-	Yes	-	
13.	Organic Farming	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
14.	Uses of plastic carry bags.	Yes	-	-	
15.	Use of renewable energy sources	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	-	Yes	-	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
17.	Movement of vehicular traffic at night	-	Yes	-	For commercial purpose.
18.	Introduction of exotic species	-	Yes	-	
19.	Use or production of any hazardous substances	Yes	-	-	
20.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park area by any air craft, hot air balloons etc.	Yes	-	-	
21.	Protection of Hill slopes	-	Yes	-	

	and river banks				
22.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
23.	Commercial sign boards and hoardings.	-	Yes	-	
24.	Adoption of Green technology for all activities	-	-	Yes	Shall be actively promoted.
25.	Vegetative fencing			Yes	
26.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Yes	-	-	
27.	Cottage industries including village artisans, etc.	-	-	Yes	
28.	Small scale industries not causing pollution.	-	Yes	-	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods which do not cause any adverse impact on environment.
29.	New wood based industry.	Yes	-	-	No establishment of new wood based industry shall be permitted within Eco-sensitive Zone.
30.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	-	Yes	-	
31.	Construction activities	Yes	-	-	No new construction of any kind shall be allowed within the Eco-sensitive Zone,except for the purposes of domestic needs of local residents and for the activities listed at item numbers 11, 26, 27, 32 and 33:Provided that in the case of activities listed at item number 26, the construction activity shall be allowed at the minimum.
32.	Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	-	Yes	-	
33.	Security Forces Camp	-	Yes		

4. State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.- (1) The Central Government shall, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, constitute a Committee to be called the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee(SESZMC) for the State of Odisha which shall comprise of.-

(i) Chief Secretary to the Government of Odisha- Chairman;

(ii) Representative of the Ministry of Environment and Forests, Regional Office, Bhubaneswar–Member;

(iii) Chief Conservator of Forests-Territorial- Member;

(iv) Representative from OdishaState Pollution Control Board-Member;

(v) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Odisha – Member;

(vi) Representative of Rural Management Department, Government of Odisha – Member;

(viii) Representative of Agriculture Department, Government of Odisha – Member;

(ix) Representative of Urban Development and Housing Department, Government of Odisha – Member;

(x) Concerned District Collectorfrom Dhenkanal and Cuttack-Member;

(xi) Concerned Divisional Forest Officer, Environment from Dhenkanal, Cuttack and Athagarh–Member;

(xii) Director, Department of Environment–Member Secretary;

(2) The activities specified in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities specified under column(3) of the table inparagraph 3,shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions andreferred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests notificationnumber S.O. 1533(E), dated the 14th September,2006and but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities specified under column (3) of the table inparagraph 3,shall be scrutinised by the SESZMC based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Chairman or the Member Secretary of the SESZMC shall be the authorized officers to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes any of the provisions of this notification.

(5) The SESZMC may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements.

(6) The SESZMC shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests may give such directions, as it deems fit, to the SESZMC for the effective discharge of its functions under this notification.

[F. No. 25/3/2014-ESZ/RE]

Dr. G. V. SUBRAMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitude of extremes and extent.

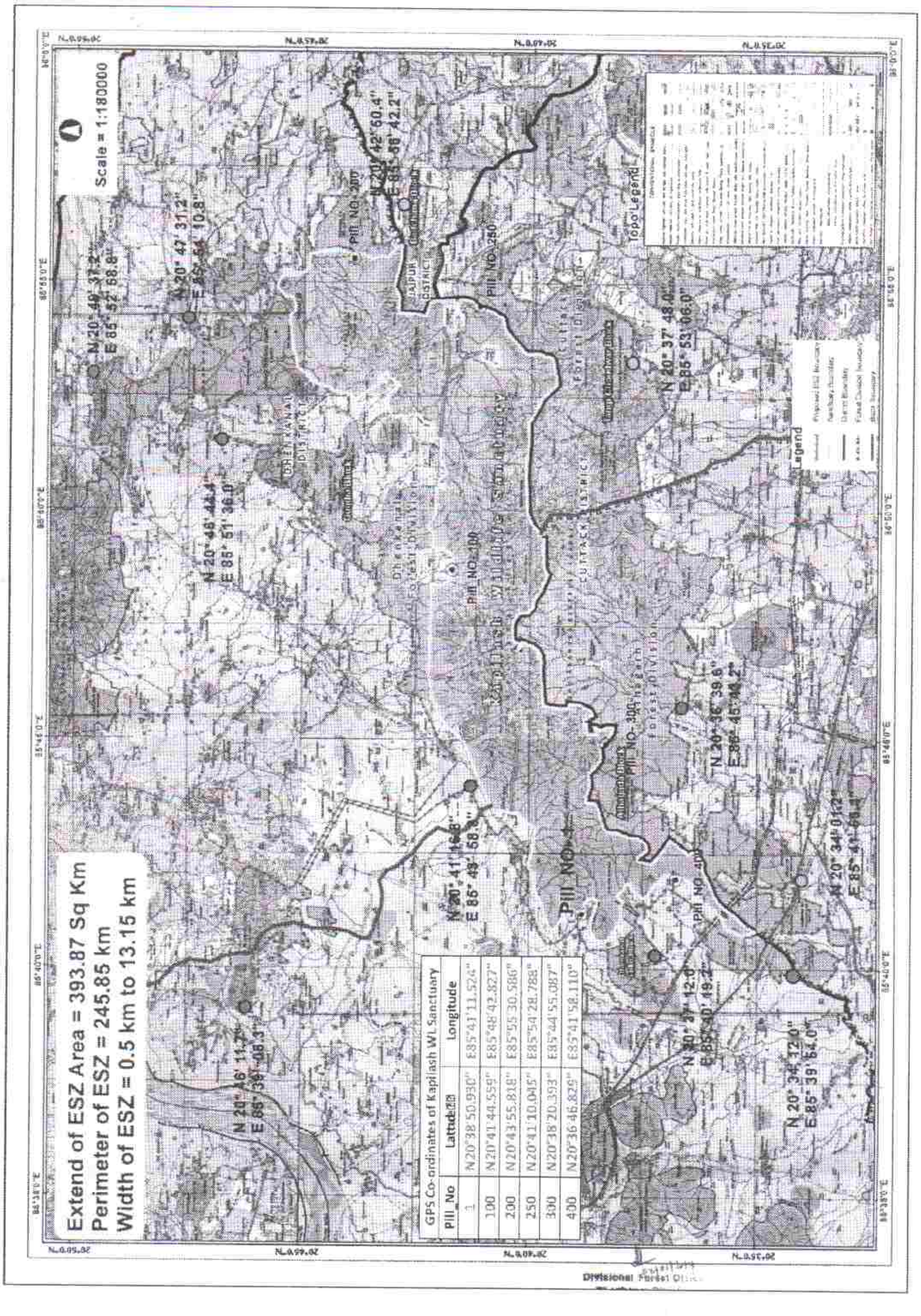

Annexure II

List of villagesfalling within the proposed Eco-sensitive Zone of KapilashSanctuary, Odisha.

1. Dhenkanal District:

Sl.No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Achhanda	20	38	6.65	85	40	40.21
2.	Dahimal	20	39	46.97	85	41	04.42
3.	Harekrishnapur	20	39	07.65	85	40	57.67
4.	Khajuria	20	37	45.41	85	41	34.45
5.	Krushnakumarpur	20	40	01.23	85	42	45.31
6.	Sankhua	20	38	44.75	85	40	44.53
7.	Baunsagotha	20	37	16.12	85	40	54.41
8.	Biradia	20	40	12.82	85	42	50.71
9.	Chanabolua	20	40	03.22	85	41	50.21
10.	Ambanali	20	40	57.91	85	42	50.23
11.	Bania	20	41	56.51	85	48	40.22
12.	Chandrasekharpur	20	42	55.75	85	43	22.47
13.	Chhatia	20	44	22.93	85	41	40.62
14.	Chhotatentuli	20	45	20.56	85	55	18.05
15.	Deogan	20	41	53035	85	45	06.95
16.	Ghoraghori	20	43	13.25	85	56	13.45
17.	Mahisiakada	20	44	09.82	85	52	23.87
18.	Mahulkhali	20	41	27.19	85	44	09.11
19.	Kolha	20	40	55.56	85	53	33.92
20.	Mundamari	20	44	35.96	85	52	19.22
21.	Neulpoi	20	44	00.78	85	42	46.07
22.	Similia	20	42	29.42	85	51	53.61
23.	Sorisiapada	20	42	8.63	85	50	56.21
24.	Talapada	20	44	19.47	85	51	39.11
25.	Haraberena	20	44	32.23	85	51	57.12
26.	Deojhar	20	43	36.53	85	50	19.67
27.	Ramei	20	43	29.72	85	51	0.31

28.	Nuachaulia	20	43	07.51	85	50	51.42
29.	Jamuria	20	42	27.12	85	50	57.63
30.	Chatighar	20	40	39.42	85	50	56.16

2. **Cuttack District:**

Sl. No	Name of the village	Latitude			Longitude		
		Degree	Minute	Seconds	Degree	Minute	Seconds
1.	Radhakrushnapur	20	34	9.63	85	40	21.62
2.	Mahalaxmipur	20	36	11.62	85	43	07.71
3.	Radharamanpur	20	34	17.32	85	41	38.51
4.	Orada	20	35	85.63	85	49	11.54
5.	Bhagua	20	35	56.53	85	43	44.52
6.	Banjhiaambha	20	37	3.54	85	52	41.92

3. **Jajpur District:**-Nil-

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.